हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला

प्रैस विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाईज निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Trade Name	No. of Posts
1	Diesel Mechanic	09
2	Motor Mechanic Vehicle (MMV)	08
3	Carpenter (Wood Technician)	03
4	Welder	03
5	Fitter	08
6	Electrician	05
7	Painter	03
8	Steno Typist Hindi	02
	Total	**41**

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वैबसाईट "http://www.apprenticeshipindia.gov.in" पर दिनांक 26.11.2026 से 06.12.2026 तक दोपहर 17:00 बजे तक कर सकते है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं० आई०डी०, रिहायशी प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी आई०टी०आई० की फाईनल मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा सभी दस्तावेज सहित दिनांक 09.12.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 15:00 बजे तक अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला, Site No-2, Near Plot No.203, industrial Area, Phase-2, Panchkula में उपस्थित हों। अगर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रार्थी के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरांत कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दिनांक 06.12.2026 के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। फाईनल लिस्ट जारी होने उपरांत यदि आवेदक तीन दिन के अंदर-2 अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

नोट:- अद्योहस्ताक्षरी के पास यह भी अधिकार होगा कि वह पदों को बड़ा/घटा सकता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल संबंधित ट्रेड से आई०टी०आई० करने वाले शिक्षु ही ट्रेड अनुसार पोर्टल पर आवेदन करें।

महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला

PRDH:- 1119/11/967/2027/51272/1/4 Dt. 25/11/2026